

अनुसार पालना 70।
दि 31.5.17 को पेस करे।

केस - हीराबाबेरी
राजस्व लोक अदालत
ध्याय आपके द्वार अभियान दि. 31.5.17

फावनी को राजस्व लोक अदालत में पेस
पत्रापी हस्ता द्वारा अर्जित किया गया कि
अदालत में नाना.नं. 386 दि. 31.5.17 से पत्रापी
का ली है।

अतः फावनी फौज सुमार लोक
नियम रद्द है।

उपस्थित अधिकारी
समाजमन्दी

-दि. 31.5.17
पालना 70।
अनुसार पत्रापी
पेस करे।
महानिरीक्षक
48 वासी
इल्हास/हरियाणा